9.7.25

वादी एवं प्रतिवादी सं०-3 की ओर से हाजरी दी गई। वादी द्वारा दाखिल आदेश-26 नियम 10(1) C.P.C. के आवेदन दि०-4.6.25 को संपादित किया गया एवं श्रवण किया गया कि प्रस्तुत वाद का विषय वस्तु एक किता विक्रय दिनांक-12.6.1989 जरिये सुधीर कुमार गुप्ता की नवासा कुमार गुप्ता तथा पुनः दो किता विक्रय विलेख दि-5-12-92 जरिये ओम नारायण गुप्ता को विनोद प्रसाद गुप्ता बनाम प्रतिवादी बहिन के पिता लाल बहादुर सिंह द्वारा अर्जित भू-भाग वर्णित अनु०क-1 वाद पत्र का अंश वर्णित अनु० क-2, 3, एवं 4 भूभाग है।

Plaintiff's pet. dt. 4.6.25 is allowed. 9.7.25

Contd.

TS-108/2022

9.7.25
Cont.

जिस पर वादीगण का हितबद्ध बाधित करना अवैध कब्जा हटा कर वादीगण को कब्जा प्राप्त करने की डिग्री प्राप्त करने हेतु दाखिल किया गया है। प्रस्तुत वाद के प्रतिवादीगण एक राय करके अपने अपने मकान के सामने दक्षिण की ओर अपने अपने पूरब के मकान की टाटी को प्रार्थी वादीगण की वर्णित वाद पत्र नक्शा-1 भू-भाग के अंश पर बढ़ा कर अवैध अतिक्रमण कर चोरी छिपे टाटी के अंदर अंदर अवैध निर्माण रत है और जिस कारण जल्दी वादीगण को प्रस्तुत वाद दाखिल करना पड़ा। वाद विषय के अंतिम रूप से निराकरण हेतु सर्वे ज्ञानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति वाद वैज्ञानिक तरीके से पैमाइश होकर प्रतिवेदन अभिलेख पर आना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी वादी सर्वे ज्ञानकार अधिवक्ता आयुक्त का खर्च वहन करने को तैयार है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि सर्वे ज्ञानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करने की कृपा करें।

उक्त आवेदन का प्रतिवादी सं0-3 की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल कर कथन किया गया कि वादी सर्वे ज्ञानकार अधिवक्ता आयुक्त के आवेदन पत्र के कण्डिका एक में वर्णित तथ्य गलत एवं मनगढ़ंत है। वादीगण ने बिहार सरकार यानी जिला समाहर्त्ता कटिहार एवं अंचलाधिकारी नगर को प्रतिवादी नहीं बनाया है। खाता नं0-47(पु0) खेसरा नं0-1495(पु0) वाली भूमि प्रतिवादी सं0-3 खखर पासवान पे0-स्व0 जनक पासवान को बासगीत पर्चा से प्राप्त है जिस पर शांति पूर्ण दखल कब्जा एवं स्वामित्व प्राप्त है।

Contd.

TS-108/22

9.7.25
Cont.

वादी के उपरोक्त आवेदन पत्र के कण्डिका - 5 एवं 6 में वर्णित तथ्य को साबित करने का अधिकार वादी को है। आगे विदित करना अनिवार्य है कि वादी के द्वारा एवं जानकार अधिवक्ता आयुक्त महोदय के निर्धारित बिन्दु पर प्रतिवेदन मांग किया जा सकता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्रीमान से प्रार्थना है कि एवं जानकार अधिवक्ता आयुक्त आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें।

उक्त आवेदन पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख एवं आवेदन का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि वादी एवं जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर विवादित भू-भाग की जाँच कराना चाहते हैं। वादी का आवेदन के आलोक में एवं जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति का प्रतिवेदन रिपोर्ट समर्पित पर नियुक्ति का प्रतिवेदन रिपोर्ट वाद के उचित निपटारा एवं अंतिम मामला वाद के निष्पादन हेतु अति आवश्यक प्रतीत होता है। वादी का आवेदन प्रायः पत्र से संतुष्ट है। वादी खर्च की राशी देने को तैयार है। अतः वादी का आवेदन दि० - 4.6.25 न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी S.K.P.C. नियुक्ति खर्च मो० 4000/- रू० नाजरत में जमा कर सर्वे रसीद न्यायालय में जमा करें। नाजरत प्रतिवेदन पत्र दाखिल होने पर कार्यालय माननीय जिला न्यायाधीश कार्यालय को अनुरोध पत्र भेजे हेतु।

दि० - 20-8-25 को दाखिल होने
खर्च की राशी हेतु अनुरोधपत्र।